

## प्रेस नोट दिनांक-04.09.2021

(1). आज दिनांक 04.09.2021 को जिलाधिकारी श्री शुभ्रान्त कुमार शुक्ल तथा पुलिस अधीक्षक श्री धवल जायसवाल की उपस्थिति में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसील सभागार मानिकपुर में संपन्न हुआ।

जिलाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा समाधान दिवस में आये हुये फरियादियों की समस्याएं सुनीं गयीं एवं उनके निस्तारण हेतु राजस्व एवं पुलिस की सयुक्त टीम को मौके पर जाकर निस्तारण करने निर्देश दिये गये एवं साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि जो भूमि संबंधी मामले प्राप्त हो रहे हैं उसमें राजस्व व पुलिस की टीम मौके पर जाकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराये।

संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ भूपेश द्विवेदी, उप जिलाधिकारी कर्वी श्रीमती पूजा यादव, उपजिलाधिकारी मानिकपुर, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री सुबोध गौतम, प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया, प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री दुर्गेश प्रसाद गुप्ता, प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री प्रमोद कुमार, प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री दीनदयाल सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 वांछित/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(क). 30नि श्री दिनेश कुमार पाण्डेय थाना पहाड़ी तथा उनके हमराही आरक्षी जलील अहमद द्वारा वारण्टी अभियुक्त बुद्धविलास पुत्र नत्थु निवासी कस्बा व थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ख). 30नि0 श्री वारिज थाना कोतवाली कर्वी तथा हमराही आरक्षी अनूप मिश्रा द्वारा मु0अ0सं0 307/21 धारा 452/376/506 भादवि0 के वांछित कमलेश यादव पुत्र सुन्दर लाल यादव निवासी शोभा सिंह का पुत्रा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3). दिनांक 29.08.2021 को नत्थू पाल पुत्र लाला पाल निवासी चकभूपत रजौला थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दी गयी कि उनके पिता लाला पाल दिनांक 28.08.2021 की रात्रि लगभग 02.30 बजे खेतों से गायब हो गये है। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में गुमशुदगी दर्ज हुयी। 30प्र0 एवं म0प्र0 की पुलिस टीमों ने तलाश प्रारम्भ की इसी दौरान सतीअनसुईया रोड से लाला पाल बरामद हुये। पूछताछ के दौरान लाला पाल द्वारा बताया गया कि 08 लोगों द्वारा मेरा अपहरण कर मुझे जंगल में भूखा प्यासा रखा था।

लाला पाल से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो बताया कि इनके चाचा मोहनलाल ने उसके विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में एनसीआर नम्बर 108/20 धारा 323/504/506 भादवि तथा न्यायालय में परिवाद संख्या 795/16 दायर किया था जो न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें दिनांक 21.10.21 तिथि नियत है तथा मोहन पाल की बहु ने लाला पाल के पिता मदन आदि के विरुद्ध मु0अ0सं0 70/98 धारा 498ए/504/506 भादवि0 व ¾ डीपी एक्ट थाना बदौसा जनपद बांदा में पंजीकृत कराया था। यही मुकदमें न्यायालय में विचाराधीन है इन्ही मुकदमों एवं जमीनी विवाद के कारण अपने चाचा मोहन पाल पर दबाव बनाने की नियत से स्वयं मनगढंत घटनाक्रम बनाकर जंगल में चला गया था। लाला पाल से पूछताछ के दौरान इसकी मानसिक स्थित ठीक न लगने के कारण मनोरोग चिकित्सक को दिखाया गया तो चिकित्सक द्वारा इनको मानसिक उपचार के लिये हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जिसे हायर सेन्टर भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री गुलाब त्रिपाठी के मार्गदर्शन में 30नि0 श्री दिनेश कुमार पाण्डेय तथा उनके हमराही द्वारा शिवपुर तिराहे से चोरी के मोबाइल बेचते हुये अभियुक्त रामभरोसे पुत्र रघु वर्मा निवासी बरियारी कला थाना मऊ जनपद चित्रकूट को चोरी 07 अदद मोबाईल फोन के

साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदशुदा मोबाइलों की अनुमानित कीमत लगभग 01 लाख रुपये है। चोरी के मोबाइल बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मऊ में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 153/21 धारा 41/411 भादवि0 पंजीकृत किया गया।

**बरामदगी:-**

चोरी के 07 मोबाइल फोन कीमत लगभग 01 लाख रुपये

**गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम:-**

1. उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पाण्डेय थाना मऊ
2. आरक्षी अंकित सचान

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 अभियुक्तों के कब्जे से 74 क्वार्टर देशी शराब बरामद की।

(i). चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री अजय जायसवाल तथा उनकी द्वारा अभियुक्त दिनेश पटेल पुत्र रामकृपाल निवासी मछरिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 25 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

**बरामदगी करने वाली टीम:-**

1. चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री अजय जायसवाल
2. आरक्षी रणवीर
3. आरक्षी कमलेश

(ii). उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय थाना बरगढ़ तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त छोटेलाल पुत्र गुलजार निवासी कटैया डांडी थाना बरगढ़ को 24 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बरगढ़ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

**बरामदगी करने वाली टीम:-**

1. उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय थाना बरगढ़
2. महिला आरक्षी निधी सेंगर

(iii). वरि0उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त राजेश हरिजन पुत्र नंगू हरिजन निवासी रैपुरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 25 क्वार्टर अवैध देशी शराब मस्तीहू ब्राण्ड के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 79/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

**बरामदगी:-**

25 अदद क्वार्टर देशी शराब मस्तीहू ब्राण्ड

**बरामदगी करने वाली टीम:-**

1. वरि0उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव थाना रैपुरा
2. आरक्षी अश्विनी कुमार

(6). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान 3.0 के अन्तर्गत श्री धवल जायसवाल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 04.09.2021 को एंटी रोमियों टीम थाना मऊ आनन्दी माता मंदिर में, बस स्टैण्ड मऊ, बाजार, एवं कस्बा मऊ स्थित बैंकों में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा ट्राफिक चौराहा, धुस मैदान, उतारखाना, काली देवी चौराहा, बस स्टैण्ड कर्वी एवं गोबरिया ग्राम में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना रैपुरा

द्वारा ग्राम रामाकोल, बांधी में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा कस्बा मानिकपुर में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम कलचिहा, मड़हा एवं सेमरा में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा ग्राम खरसेड़ा एवं नांदी मंदिर में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना भरतकूप द्वारा ग्राम भारतपुर के भरतकूप मंदिर में भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में परिवारिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा एक बार फिर पति-पत्नी के आपसी झगड़े को समाप्त कराकर आपस में सुलह कराते हुये परिवार को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती हेमा पत्नी देवेन्द्र कुमार पुत्री रामकैलाश तिवारी निवासी शोभा सिंह का पुरवा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा अपने पति देवेन्द्र कुमार एवं ससुरालीजनों पर अतिरिक्त दहेज की मांग कर गलौच एवं मारपीट के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रा0 पत्र दिया गया था।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र में नियुक्त मुख्य आरक्षी अरूण कुमार एवं महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा दोनों पक्षों को कार्यालय बुलाया गया। दोनों पक्षों की समस्याओं को सुनकर, समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में विवाद न करने एवं आपस में मिलजुल कर रहने हेतु कहा। इस तरह दोनों पक्षों द्वारा आज दिनांक 04.09.2021 को आपस में सुलह की गयी। सुलह होने पर दोनों पक्षों को आपस में सामन्जस्य बिठाकर सही प्रकार से आपस में मिलजुलकर रहने तथा पति-पत्नी के कर्तव्यों को निर्वाहन करने की सलाह दी गयी।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा श्री दुर्गेश प्रसाद गुप्ता के मार्गदर्शन में वरि0उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त राजेश हरिजन पुत्र नंगू हरिजन निवासी रैपुरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 25 क्वार्टर अवैध देशी शराब मस्तीहू ब्राण्ड के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 79/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

#### **बरामदगी:-**

25 अदद क्वार्टर देशी शराब मस्तीहू ब्राण्ड

#### **बरामदगी करने वाली टीम:-**

1. वरि0उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव थाना रैपुरा
2. आरक्षी अश्विनी कुमार